न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 27 / 2016

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 मोहनसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति रावत निवासी काया भीला		1. गीता देवी पत्नी प्रतापसिंह जाति रावत निवासी काया भीला
2 विरमसिंह पुत्र मोतीसिंह नाबालिग जरिये मोहनसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति रावत निवासी काया भीला		2. ग्राम पंचायत झाला की चौकी, तहसील रायपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झाला की चौकी।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री इन्दरसिंह, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/02/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, झाला की चौकी द्वारा मिसल संख्या 63 / 2012–2013 संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.11.2012 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 09.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य एवं गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर जैर निगरानी पट्टा अपने नाम से जारी करवाया गया है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि गै0मु भाखर की भूमि है। इस प्रकार उक्त भूमि पंचायत के क्षेत्राधिकार की भूमि ही नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि थी। प्रार्थीगण एवं उसके भाई खाने कमाने हेतु बाहर रहते है व अपने मकान पर आते जाते है एवं अपने भाई के देहान्त के पश्चात शव लेकर घर आये तो, अप्रार्थी के पति प्रतापसिंह ने घर में घुसने से मना कर दिया तथा उक्त मकान का पट्टा अपनी पत्नी के नाम से जारी होना बताया। इस पर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की प्रतियां प्राप्त की। इस पर प्रार्थीगण को जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की जानकी हुई। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर स्वयं का मकान बना होने के कारण ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। सचिव द्वारा नक्शा प्रस्तुत करने के कारण तीन पंचो की कमेटी मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत की गई एवं कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा आबादी भूमि पर जारी किया गया है, जिसका पंचायत को पूर्ण अधिकार है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 05.08.2012 को मिसल कायम की जाकर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को मिसल आगामी मिटींग में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। इसके पश्चात दिनांक 20.08.2012 को मिसल बैठक में प्रस्तुत होने पर तीन पंचों की कमेटी गठित की गई एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 20.09.2012 को मनोनीत पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने एवं अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जासुदा रहवासी मकान के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने व गवाहो को वास्ते बयान आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2012 को पंचायत की बेठक में मिसल प्रस्तुत होने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण मिसल वास्ते निर्णय आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 20.11.2012 को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में यह तथ्य प्रकट होता है कि क्या जैर निगरानी पट्टे की भूमि खसरा नम्बर 1319 रकबा 3049 बीघा किस्म गै0मु0 भाखर में है अथवा खसरा नम्बर 1338 रकबा 4–10 बीघा किस्म गे0मु0 आबादी में ? इस सम्बन्ध वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का झाला की चौकी द्वारा जारी भूमि किस्म प्रमाण पत्र के अनुसार अप्रार्थी गीतादेवी पत्नी प्रतापसिंह, मीरादेवी पत्नी हुकमसिंह का पुराना कब्जासुदा आवासीय भूखण्ड खसरा नम्बर 1338 किस्म गै0मु0 आबादी में होना बताया। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण संख्या 262/2015 सरकार बनाम गीता में पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें उक्त भूमि खसरा नम्बर 1338 में होना बताते हुए कार्यवाही ड्रोप की एंव इसके साथ ही माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश बर द्वारा सिविल विविध प्रकरण संख्या 32/2016 गीतादेवी बनाम मोहनसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.10.2017 के जरिये अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के विवादित भूखण्ड पर कब्जा व उपयोग उपभोग में बाधा व दखलअन्दाजी कारित नही करने हेतु पाबन्द किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। प्रकरण में नवीन तथ्य प्रकट हुआ है कि उक्त भूमि भूखण्ड के रूप में मौके पर मौजूद है, जिसकी ताईद माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय एवं पटवारी हल्का की किस्म भूमि प्रमाण पत्र से होती है अथवा उक्त भूमि पर मकान निर्मित है, जिसकी ताईद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ, पटवारी हल्का झाला की चौकी द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2016 से होती है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का मकान खसरा नम्बर 1319 में होना जाहिर किया है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु निवेदन किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया, उस पर प्रार्थीया का मकान निर्मित है, जिसकी ताईद पटवारी हल्का पटवारी हल्का झाला की चौकी द्वारा निर्मित मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 02.02.2016 से होती है। उक्त रिपोर्ट में नजरी नक्शा तैयार किया गया है, जिसमें मकान खसरा नम्बर 1319 में बना होना अंकित किया है, जो खसरा नम्बर 1338 से चिपते हुए है। इस रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया कि खसरा नम्बर 1319 में अप्रार्थी का पक्का मकान बना है एवं उसके आगे बाडा बना कर अतिक्रमण किया है। इस प्रकार जो पट्टा जारी किया गया है, वह निर्विवादित रूप से खसरा नम्बर 1319 में जारी होना प्रमाणित होता है, जो आबादी की न होकर गै0मु0 भाखर की भूमि है, जिस पर पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत अधिकृत नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, झाला की चौकी द्वारा मिसल संख्या 63/2012–2013 संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.11.2012 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 09.02.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत झाला की चौकी का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली